

हिन्दी भाषा: वर्तमान में

अनुराधा पालीवाल*

किसी भी राष्ट्र के लिए एक संपर्क भाषा का होना जरूरी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो यह जरूरत और भी बढ़ जाती है। संविधान द्वारा खड़ी बोली हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया।

हिन्दी को राजभाषा घोषित करते हुए यह आश्वासन दिया गया था कि 1965 तक अंग्रेजी का भी काम होता रहेगा। फिर धीरे-धीरे यह स्थान हिन्दी स्वयं ले लेगी। लेकिन 1965 में जब हिन्दी को अंग्रेजी का स्थापन करने की बात उठी तब राजनैतिक स्तर पर हिन्दी तट प्रदेशों में इसका खुलकर प्रतिवाद किया गया। आज स्थिति यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशासनिक काम किये जा रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी कायम है और हिन्दी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है।

राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की वाणी होती है और उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। इस दृष्टि से हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा का सम्मान अर्जित करना था। किन्तु संवैधानिक सच यह है कि भारत में आठवीं अनुसूची में शामिल (अनुच्छेद 343 व 344) सभी बाइस भाषाएँ राष्ट्र भाषा है और हिन्दी उनमें से एक है। इन सभी भाषाओं के बीच संयोजक के रूप में किसी भाषा का होना जरूरी है। प्रशासन की सहूलियत और अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण व्यवस्था के लिए एक संपर्क भाषा का प्रयोजन भी अपरिहार्य है। अतः प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी को "राजभाषा" बनाने में सहमत रहे हैं। लेकिन

एक वर्ग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शासन तंत्र की व्यवहारिक सुविधा के लिए मूलतः हिन्दी, अंग्रेजी की द्विभाषिक स्थिति संवैधानिक बाध्यता बनी है।

जिस भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क किया जा सके उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत वर्ष की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी प्रतिष्ठित होती जा रही है।

हिन्दी के प्रति समर्पित एक विदेशी विद्वान डॉ० कामिल बुल्के ने हिन्दी की क्षमता का गुणगान करते हुए लिखा था—“1918 में भारतीय स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति महात्मा गाँधी इसी शर्त पर वाइसराय से मिलने के लिए राजी हुए कि वह हिन्दी में बातचीत करेंगे। देश के कुछ प्रदेशों में कुछ प्रतिशत लोग कुछ अंग्रेजी जानते हैं। अतः अंग्रेजी ज्ञान के आधार पर देश की भावात्मक एकता अधूरी रहेगी।”

आज इतने वर्षों बाद व्यावहारिक क्षेत्र में हम हिन्दी को उसकी "संपर्क भाषा" की भूमिका को बड़े दायित्वपूर्ण ढंग से निभाते देख सकते हैं। भारत जैसे बहुभाषी क्षेत्र में अनेक भाषाएँ बोलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। ये लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्राएँ शौकिया ही नहीं व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रयोजनों से भी करते हैं। अतः वैचारिक आदान-प्रदान के लिए भी यह आवश्यक है और हिन्दी इस प्रयोजन को पूरा करती है और भारत की संपर्क भाषा के रूप में दिनों दिन जनप्रिय होती जा रही है।

*प्रवक्ता, आर्य महिला शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, मालवीय नगर, अलावर।

E-mail Id: anuradhapaliwal72@gmail.com

आध्यात्मिक गुरु हो या साहित्यकार सभी ने महसूस किया कि हिन्दी के बिना ज्ञान विचार और भावनाओं को जन-जन तक पहुँचाना मुश्किल है। वर्तमान परिदृश्य में संचार माध्यम नियंत्रक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के अपने अडिग रूप में स्थापित पत्रकारिता की विविध ईकाइयाँ सरकारी गतिविधियों तक पर प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण रखने में सक्षम है।

आज के युग में भाषा का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब मीडिया की भाषा अपने पारंपरिक रूप की कैंचुली उतार परिवर्तन के संक्रमित दौर से गुजर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और बाजारवाद के बढ़ते दायरे में हिन्दी भाषा के नये विषय, नये संदर्भ, नये शब्द और नई भाषिक संस्कृति विकसित कर ली है। जैसे—

“आज ऑन लाइन स्टूडी से पढ़ाई आसान हो गई है।”

“मुख्यमंत्री जी ने हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।”

जैसे—वाक्यों में न तो भाषा के परिष्कार की परवाह है न उसके वाक्य विन्यास की। अब इन माध्यमों में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग बेधड़क किया जा रहा है।

विज्ञापन के इस युग में विज्ञापन की भाषा भी मिश्रित है। तुकबंदी विज्ञापन की भाषा की खास प्रविधि है। हिन्दी इसके लिए फिट है। अंग्रेजी की रोमन लिपि में तुकबंदी आज तक ‘संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे’ की बात प्रभावशाली नहीं है। और आज जो हिन्दी का स्वरूप विकसित हो रहा है रोमन हिन्दी के रूप में हो रहा है। आपसी संवाद की भाषा संदेश (मैसेज) की भाषा, युवाओं की बोलचाल भाषा, लेखन में उसका प्रभाव साक्षात् दिखाई पड़ रहा है। समाचार पत्र,

कम्प्यूटर, इन्टरनेट, चैटिंग आदि पर तथा अत्याधुनिक विकसित माध्यमों पर हिन्दी भाषा की रोमन हिन्दी का प्रचलन बढ़ रहा है।

बीच में मैंने अखबार में एक विचार अभिव्यक्ति में यह पढ़ा था कि रोमन हिन्दी को अपनाया जाना चाहिये या नहीं इस पर अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति प्रदान करें। मेरे विचार में यदि कोई भाषा स्वरूप जनभाषा की जुबान पर लेखन में आ जाता है तो धीरे-धीरे समाज उसे ग्रहण कर ही लेता है। हिन्दी भाषा में अनेकों भाषाओं के शब्दों को अपने में स्थान दिया है। अतः रोमन हिन्दी के स्वरूप को कैसे स्वीकार करेंगे यह हमारे लिए अग्रिम चर्चा, बहस, विश्लेषण का विषय रहेगा तदुपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा।

दूरदर्शन, सिनेमा और रेडियो जनसंचार के ऐसे अनेकों माध्यम हैं जिन्होंने आजाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते बर्चस्व के संक्रमण काल में हिन्दी को प्रतिष्ठित भाषा का गौरव देने का साहसपूर्ण कदम उठाया है। समस्त विषमताओं के बावजूद दृश्य-श्रव्य संचार माध्यमों की हिन्दी अपने मार्ग पर अनवरत चलती रही है और सारे देश को भाषिक एकता की डोर में बांधने का दायित्व सहजता से निभा रही है।

आज मुख्य बात हिन्दी भाषा में लिखने बोलने की है। हम स्वयं को हिन्दी भाषी कहते जरूर है लेकिन किसी अंग्रेजी बोलने वाले के सामने हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस हीन भावना को खत्म करें, करोड़ों लोग हिन्दी में बोलना-लिखना-पढ़ना चाहते हैं। सामान्य से शुरू करें और अच्छी हिन्दी तक पहुँचे। दृढ़ संकल्प किसी भी कार्यान्वित की पूर्णता का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। उसे ग्रहण करें। हमारी हिन्दी भाषा अदभुत, शानदार, अतुलनीय है। इसे बोलने और प्रचार-प्रसार करने में शर्म कैसी? विदेशी भाषा से इस कदर लगाव नहीं होना चाहिये। अपनी माँ को छोड़कर दूसरे की माँ को अपना कहना?

भाषा माँ सिखाती है, माँ जैसी होती है तभी तो मातृभाषा कहलाती है, उसे कैसे बदल दें। अतः अपनी हिन्दी भाषा को छोड़ें नहीं उसमें बस जाएँ।

सभी भाषाओं या रूचि पूर्ण भाषा की सीखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन अपना सारा कार्य हिन्दी में ही करें और ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय से कार्यरूप में बदले तभी संभव है। हम सभी एक-दूसरे के लिए प्रेरणा बने, मिसाल बने, कुछ नियमों को आज से ही सोच लें। जैसे कि—

- 01- दस्तखत (हस्ताक्षर) हिन्दी में किए जाएँ।
- 02- पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों के निमंत्रण पत्र हिन्दी में छपवाएँ।
- 03- अंग्रेजी पत्रों का जवाब भी हिन्दी में दें। हिन्दी में लेवें।
- 04- अपने प्रतिष्ठानों का नाम हिन्दी में लिखें। संस्थानों का नाम हिन्दी में लिखें। जैसे कि –
वनस्थली विद्यापीठ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है—उदाहरण—आपाजी आरोग्य मंदिर (अस्पताल का नाम)

- 05- आवेदन पत्र आदि हिन्दी में लिखें।
- 06- भाषा विशेषज्ञ हिन्दी अनुवाद कर पुस्तक हिन्दी में लिखें।
- 07- अंग्रेजी के अनावश्यक प्रयोग से बचें। मातृभाषा का ही प्रयोग करें।
- 08- संकल्प के साथ सारे काम स्व भाषा हिन्दी में करें।
—वेदप्रताप वैदिक (वरिष्ठ पत्रकार, विद्वान)

10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन फिलहाल ही सम्पन्न हुआ है। सम्मेलन प्रासंगिक है। उम्मीद है कि हिन्दी प्रेमी प्रधानमंत्री व सरकार के नेतृत्व में कोई प्रभावी कार्यवाही की जाएगी और हमारी हिन्दी भाषा को वह सम्मान प्राप्त होगा जिसकी वह वर्षों से अधिकारी है।

तमाम विसंगतियों के बावजूद वह विश्व भाषा बनने को तैयार है। यह सम्पर्क भाषा के रूप में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। आश्चर्य नहीं होगा जब योग की तरह हिन्दी भी एक दिन अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना परचम लहराए।